प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 7 – 14 जनवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र का सुक्खु पर निशाना अपरोक्ष में राठौर के लिये चेतावनी

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के पिछले करीब छः वर्ष से चले आ रहे अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खु को हटाकर कुलदीप सिंह राठौर को पार्टी की कमान सौंपी गयी है। कांग्रेस

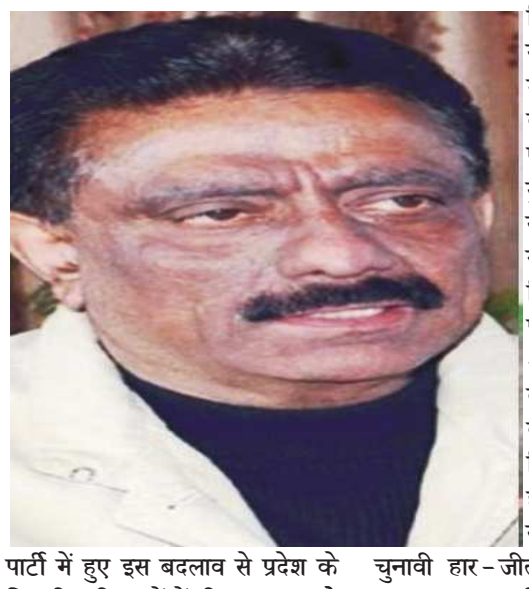

पार्टी में हुए इस बदलाव से प्रदेश के सियासी समीकरणों में भी बदलाव आने की संभावनाएं प्रबल हो गयी हैं। स्मरणीय है कि सुक्खु को हटाने के लिये वीरभद्र सिंह एक लम्बे अरसे से मुहिम छेड़े हुए थे लेकिन अब जब यह बदलाव आया है तब वीरभद्र सिंह इस मुहाने पर शांत चल रहे थे। बल्कि अब तो सुक्खु के साथ सार्वजनिक मंच भी सांझा करने लग गये थे। वीरभद्र में यह बदलाव पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद आया था। लेकिन इसी बीच आनन्द शर्मा ने अपने निकटस्थ कुलदीप राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रणनीति तैयार कर ली क्योंकि सुक्खु का हटना सिन्द्धात रूप से तय था। इसमें केवल यही शेष बचा था कि बदलाव लोकसभा चुनावों के बाद हो या पहले और इसकी जानकारी आनन्द शर्मा को थी। इस परिदृश्य में आनन्द को अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का मौका मिल गया।

इसके लिये आनन्द ने वीरभद्र सिंह को भी राजी कर लिया। वीरभद्र सिंह ने भी कुलदीप राठौर के लिये अपनी सहमति जता दी क्योंकि वह अपने तौर पर सुक्खु को हटवाने में सफल नही हो पाये थे। इसलिये वीरभद्र सिंह के पास और कोई विकल्प शेष नही रह गया था। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिये नये संभावितों में सबसे ऊपर आशा कुमारी का नाम चल रहा था लेकिन उनके खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित याचिका सबसे कड़ा व्यवधान बन रही थी। ऐसे में आनन्द शर्मा ने वीरभद्र के साथ ही आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री से भी राठौर के लिये सहमति हासिल कर ली इस तरह प्रदेश के इन शीर्ष नेताओं की सहमति होने से पहली बार एक गैर विधायक /सांसद को यह जिम्मेदारी मिल गयी। यह सही है कि कांग्रेस के संगठन में एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस और मुख्य संगठन में बतौर महामन्त्री जिम्मेदारी निभा चुके राठौर के पास एक अच्छा अनुभव है। राठौर को कभी विधायक बनने के लिये पार्टी का टिकट नही मिल पाया है इसलिये उनके राजनीति आकलन में चुनावी हार – जीत का मानक लागू नही होता। अब आने वाला लोकसभा चुनाव न केवल राठौर बल्कि आनन्द से लेकर वीरभद्र सिंह तक के लिये एक बड़ी परीक्षा सिद्ध होगा।

राठौर के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के भीतरी समीकरणों में उथल – पुथल होनी शुरू हो गयी है। जब दिल्ली में इस बदलाव पर मोहर लगायी जा रही थी तब सुक्खु भी दिल्ली में ही मौजूद थे। सुक्खु ने दावा किया है कि बदलाव के लिये उनसे सहमति ली गयी थी। जब सुक्खु ने सहमति दे दी थी तो फिर उन्होंने उसी दिन प्रदेश की कुछ जिला इकाईयों में फेरबदल क्यों किया? क्या उस फेरबदल को नया अध्यक्ष यथास्थिति बनाये रखेगा यह राजनीतिक विश्लेषण की नजर से एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर राठौर का रूख क्या रहता है इसका पता आने वाले दिनो में लगेगा। इसी के साथ एक सवाल वीरभद्र सिंह को लेकर भी खड़ा हो गया है। इस बदलाव के बाद वीरभद्र सिंह ने फिर कहा है कि वह स्वयं चुनाव न लड़कर दूसरों से चुनाव लड़वायेंगे। वीरभद्र सिंह का यह ब्यान फिर उसी तर्ज पर आया है जब उन्होंने यह कहा था कि मण्डी से कोई भी मकरझण्डू चुनाव लड़ लेगा। यही नहीं उन्होंने हमीरपुर और कांगड़ा से पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के तौर पर हमीरपुर से राजेन्द्र राणा के बेटे और कांगड़ा से सुधीर शर्मा का नाम उछाल कर पार्टी मे कई चर्चाओं को जन्म दे दिया था। वीरभद्र के इस ब्यान पर जब प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की कड़ी प्रतिक्रिया आयी तब वीरभद्र ने मण्डी जाकर स्वयं चुनाव लड़ने की सहमति जता दी। वीरभद्र कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में आते हैं और प्रदेश में छः बार मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके हर ब्यान के राजनीतिक अर्थ देखे जाने स्वभाविक हैं। क्योंकि आज भी प्रदेश में जब किसी राजनेता के जनाधार का आंकड़ा देखा जाता है तो उस गिनती में उनका पहला स्थान आता है। लेकिन अभी थोड़े ही अन्तराल में वीरभद्र जैसे नेता का तीन बार ब्यान बदलना अपने में बहुत कुछ कह जाता है।

यह सही है कि इस समय वीरभद्र आयकर सीबीआई और ईडी के मामलें झेल रहे हैं। सीबीआई अदालत में आये से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और छः अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गये हैं। 29 जनवरी को वीरभद्र सिंह आनन्द चौहान और प्रेम राज के खिलाफ आरोप तय होंगे। इससे पहले प्रतिभा सिंह के साथ चुन्नी लाल, जोगिन्द्र सिंह धाल्टा, लवण कुमार, राम कुमार भाटिया और वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। वीरभद्र के खिलाफ आरोप तय होने के बाद वह चुनाव लड़ने के लिये अपात्र नही हो जाते हैं। जब सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया था तब इस मामले का अदालत में आना तय था और यह आरोप तय होना प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिये यह नही माना जा सकता कि इसके दबाव में वीरभद्र अपने ब्यान बदल रहे हों। वीरभद्र, जयराम के प्रति अभी तक कोई ज्यादा आक्रामक नही रहे हैं इसी के साथ यह भी एक सच्च है कि इस समय कांग्रेस के पास मण्डी से वीरभद्र स्वयं या उनके परिवार के किसी सदस्य से ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार नही हो सकता।

इस वस्तुस्थिति में कांग्रेस के नये अध्यक्ष के लिये वीरभद्र सिंह को मण्डी से चुनाव लड़ने के लिये राजी करना पहली आवश्यकता होगी। क्योंकि मण्डी मुख्यमन्त्री जयराम का अपना जिला है। इसलिये अपने नेतृत्व को समर्थन देना एक व्यवहारिक सच्चाई हो जाती है। ऐसे जयराम को मण्डी में ही घेरे रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कांग्रेस वहां से वीरभद्र जैसे नेता को ही मैदान में उतारे।

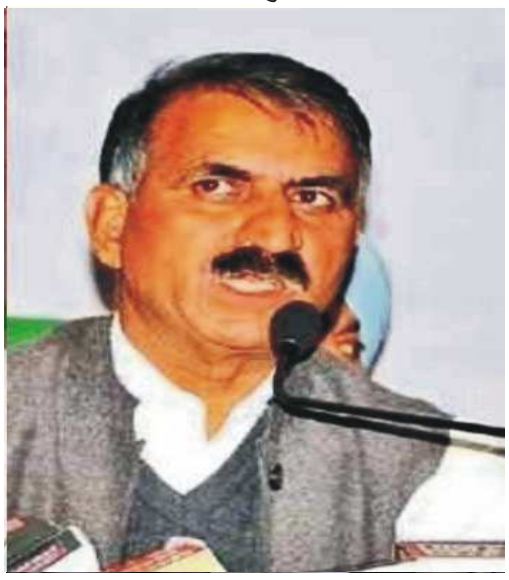

इसी के साथ कांग्रेस को सरकार के खिलाफ भी अपनी आक्रामकता को तेज करना होगा। लेकिन जो आरोप पत्र अभी कांग्रेस, सरकार के खिलाफ लेकर आयी है उस स्तर की आक्रामकता से चुनावी सफलता हालिस कर पाना संभव नही होगा। इस तरह नये अध्यक्ष के लिये पार्टी के सारे नेताओं को साथ लाकर चलना और सरकार के खिलाफ गंभीर रूप से आक्रामक हो पाना बड़ी चुनौतियां मानी जा रही है।

यही नही वीरभद्र सिंह ने सुक्खु को औरंगजेब करार देकर एक बार फिर हाईकमान पर सवाल उठा दिये हैं क्योंकि यदि सुक्खु छः वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं तो ऐसा हाईकमान की मंशा से ही संभव हुआ है। ऐसे में जब सुक्खु के हमीरपुर से लोकसभा प्रत्याशी होने पर पूछा गया तो उनका यह कहना कि हाईकमान में कोई इतना मूर्ख नही हो सकता है, वीरभद्र इसी पर नही रूके बल्कि यहां तक कह दिया कि कुछ लोगों का वश चले तो वह नौकर को भी टिकट दिला दें। वीरभद्र के ऐसे ब्यान निश्चित रूप से पार्टी को कमजोर बनाते हैं। भाजपा को कांग्रेस की एकजुटता पर तंज कसने का मौका मिल जाता है। जबकि इस समय हाईकमान ने नये अध्यक्ष को कमान संभाली है तब वीरभद्र जैसे बड़े नेता के ऐसे ब्यान अध्यक्ष के लिये परेशानी खड़ी करने वाले साबित होंगे।

दूसरी ओर सुक्खु ने भी वीरभद्र को जवाब देते हुए यह गंभीर आरोप लगाया है कि हर चुनाव से पहले वह पार्टी को ब्लैक करते आये हैं। सुक्खु ने सीधे आरोप लगाया है कि वीरभद्र के मुख्यमन्त्री रहते जो भी चुनाव पार्टी ने लड़े हैं वह सब हारे हैं। सुक्खु ने सवाल किया है कि वीरभद्र आज तक एक बार भी पार्टी को सत्ता में रिपीट क्यों नहीं कर पाये हैं। वैसे वीरभद्र सिंह ने जिस तरह से 1983 से पहले तत्कालीन मुख्यमन्त्री स्व. ठाकुर रामलाल के खिलाफ फोरेस्ट माफिया को लेकर पत्र लिखा था और फिर 1993 में पंडित सुखराम को रोकने के लिये विधानसभा का घेराव तक करवा दिया था उससे खुक्खु के आरोपों में बहुत दम दिखाई देता है। अभी पिछले कार्यकाल में भी कांग्रेस के अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में समानान्तर सत्ता केन्द्र खड़े कर दिये थे जो पार्टी के हार के कारण बने हैं। इस परिदृश्य में वीरभद्र की अब शुरू हुई ब्यानबाजी से भी निश्चित रूप से संगठन को नुकसान होगा यह तय है।

बुद्धि व विवेक से अध्ययन को अपना लक्ष्य बनाएं विद्यार्थीः आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आदर्श मनुष्य का निर्माण बहुत कठिन है लेकिन जरूरी भी है। बुद्धि से लिए गए निर्णय सफलता की ओर और दिल से लिए गए निर्णय बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने बोल रहे थे। आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षक ऐसा चिराग है, जो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षक को अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बालक

परिजनों की नजर के समक्ष बुद्धि और विवेक से अध्ययन को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए।

राज्यपाल गुजरात के सूरत में वेसू स्थित अग्रवाल विद्या विहार स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण से नहीं बल्कि माता-पिता, परिवार और समाज के लोगों के अनुकरण से सीखता है। उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे आधुनिक संस्कृति के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को संरक्षित करे और खेल सहित अन्य गतिविधियों से विद्यार्थियों में सुप्त अवस्था में पड़ी शक्ति को बाहर लाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि माता-पिता का गौरव, शिक्षकों का सम्मान और परिवार की इज्जत बढ़ाने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती, गोपालन और जल संचय भविष्य की मांग है। प्राकृतिक खेती में कैंसर, हार्ट अटैक आदि असाध्य रोगों को खत्म करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने जहरमुक्त खेती को अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस पर 25 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सरकार ने प्राकृतिक खेती को गंभीरता से अपनाकर वर्ष 2022 तक जहरमुक्त खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के आह्वान में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि 10 वर्षो से प्राकृतिक खेती का उपयोग करने के बाद वह इस पद्धति को अपनाने पर बल दे रहे हैं। इस पद्धति को अपनाने से जहां किसानों की आय भी बढ़ जाएगी वहीं भूमि बंजर होने से बच जाएगी।

राज्यपाल की गुजरात के मुख्यमंत्री से भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने पांच दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से भेंट की।

राज्यपाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री से विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि गुजरात में हुए अधोसंरचना विकास व पर्यटन के क्षेत्र में हुए विकास का फायदा हिमाचल ले सकता है। उन्होंने सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ विशेष तौर पर प्राकृतिक कृषि को लेकर भी बातचीत की। राज्यपाल ने उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे कार्य व इस दिशा में हुए विकास से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि यह कृषि पद्धति किसानों की आय को दोगुना करने, पर्यावरण मित्र होने के अलावा स्वास्थ्य के लिये बेहतर है। उन्होंने मुख्यमंत्री को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ में कई जा रही प्राकृतिक कृषि की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री इस पद्धति से प्रभावित हुए।

मुख्यमंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों को हिमाचल में निवेश का दिया न्यौता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन और आतिथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल विनिर्माण और इंजीनियरिंग सामान, शिक्षा कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में प्रमुख औद्योगिक घरानों के शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की। बैठक का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया, जो धर्मशाला में जून 2019 में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के राष्ट्रीय भागीदार हैं।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों के बारे में बताया और कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण माहौल, बेहतर कानून व व्यवस्था की स्थिति है और राज्य के उद्योग विभाग द्वारा तीव्र मंजूरी के लिए तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने निवेशकों का राज्य में स्वागत किया और उन्हें भूमि उपलब्धता, बेहतर विद्युत आपूर्ति और शीघ्र मंजूरी के संबंध में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से परियोजना प्रस्तावों को जल्द से जल्द भेजने का अनुरोध किया और उन्हें जून 2019 में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ वर्तमान औद्योगिकीकरण में सुधार लाने और इसे आगे बढ़ाने और राज्य में औद्योगीकरण को मजबूत करने के संबंध में विस्तारपूर्वक एवं सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को यह भी अवगत करवाया कि राज्य मौजूदा निवेश को उदार बनाने के अलावा निवेशकों की सुविधा के लिए नई नीतियां बनाने पर कार्य कर रहा है।

निवेशकों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही ठोस

प्रस्तावों और निवेश योग्य परियोजनाओं के साथ आएंगे। उन्होंने बैठक के दौरान बहुमूल्य जानकारी भी दी।

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकांश निवेशकों ने कौशल विकास क्षेत्र और सौर ऊर्जा के अलावा चिकित्सा उपकरण निर्माताओं विशेष रूप से हृदय वाल्व आदि में गहरी रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री से मिलने वालों में प्रमुख रुप से हीरो कॉरपोरेट सर्विसेज के अध्यक्ष एस.के. मुंजाल, मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज के पूर्वकालीन निदेशक अनुज मुंजाल, जेबीएम समूह के अध्यक्ष एस.के. आर्य, रेडिसन समूह के अध्यक्ष के.बी काचरू, हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स के अध्यक्ष रतुल पुरी पवनहंस लिमिटेड के चेयरमैन बी.पी. शर्मा, बर्ड ग्रुप की चेयरमैन राधा भाटिया, आनंद डेयरी के अध्यक्ष आर.एस दीक्षित तथा इंडियन सव कान्टिनेंट मेडट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित के सिंह शामिल थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The **Executive Engineer HPPWD Chopal Distt. Shimla H.P.** on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No. Name of Work	Estimated Cost	EMD	Cost of Tender	Eligible class of Contractor
1. R/R damages on Peontra Dawada to Titrod, Kimachandrauli road (SH: C/o B/wall between km. R.D. 0/660 to 0/680).	Rs.482000/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
2. C/o Bhoot Kainchi to Mundochali road km. R.D. 0/0 to 3/200 (SH: C/o HPC at km. 1/0, 1/45, B/wall in between km. R.D. 0/915 to 0/965 and R/wall in between km. R.D. 1/050 to 1/070).	Rs.1175000/-	Rs.24000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
3. C/o Mashrain to Bharan road km. 0/0 to 4/0 (SH: Laying of bearing coat GI in between km. R.D. 0/0 to 1/0.	Rs.259327/-	Rs.6000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
4. C/o Kiarna Ghat to Kanda road km. 0/0 to 1/195 under MMGPY (Cutting in earth work in between km. R.D. 0/0 to 0/315).	Rs.589747/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
5. C/o Painda to Kufer road km. 0/0 to 1/0 (SH: Formation cutting between km. 0/0 to 0/500 and C/o R/wall in between km. R.D. 0/020 to 0/045).	Rs.974681/-	Rs.10000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
6. C/o link road from Khula Batada to Sadona road km. 0/0 to 1/795 (SH: Formation cutting in between km. R.D. 0/0 to 1/0).	Rs.1518735/-	Rs.31000/-	Rs.500/-	"D&C" Class
7. C/o link road to village Chhachhar and Pashar km. .0/0 to 4/500 under SSCP (SH: C/o 900mm dia HPC at R.D. 0/075, 3/705 and B/wall in between km. R.D. 1/625 to 1/645, 3/675 to 3/695).	Rs.410277/-	Rs.8500/-	Rs.500/-	"D&C" Class

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.** Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in**. Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key Dates:

1. Date of Online Publication	26.12.2018 10:00 HRS
2. Document Download Start and End Date	10.01.2019 1030 HRS up to 30.01.2019 1050 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	10.01.2019 1030 HRS up to 30.01.2019 1050 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	31.01.2019 up to 1030 HRS
5. Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.	02.02.2019 1100 HRS

4. TENDER DETAILS:

The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:

i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility**

ii) Cover2: shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.

5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in **O/o Executive Engineer HPPWD Chopal H.P.** as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on **02.02.2019 at 1100 HRS** in the **office Executive Engineer, HPPWD Division Chopal H.P.** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **90 days** after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.3936/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

NOTICE INVITING TENDER
HP.PWD KANGRA

Sealed item rate tenders on form 6 & 8 are invited by the **Executive Engineer, Kangra Division, HP: PWD,** Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in HPPWD in the appropriate class for the work mentioned below on **31-01-2019 up to 10:45 A.M.** and will be opened on the same day at **11-00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on any working day from **28/01/2019 to 30/01/2019.** The applications for the issue of tender forms will be received latest by **29/01/2019 up to 12.00 Noon.** The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account/Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD, Kangra. The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Work No.1:- C/O link road from Garoh Ghar Metti road (SH:-C/O R/Wall alongwith Pusta at RD 2/310 to 2/332) Estimated cost: Rs.4,48,141/- Earnest Money: Rs. 9,000/- Time Limit Three Month Cost of tender 350/-.

TERMS & CONDITIONS:-

1. The contractors/firms should be registered as or/dealer under HP Sales Tax Act.1968.
2. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. The contractors is required to submit an affidavit for not having more than two works in hand in the shape of affidavit duly attested by the competent authority.
4. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
5. The contractor should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
6. The copy of Employees Provident Funds (EPF Number) should be attached with the application.
7. Minimum one similar work done of amount not less than 40% (forty percent) of the estimated cost (without Liquidated Damage or compensation) in last five years).
8. The Earnest Money for the above works should be required at the time of sale of tender forms.
9. All the required document should be submitted with the application otherwise single application may be rejected.
10. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.

Adv. No.3985/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

4 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र मन्त्रिमण्डल की बैठक में हुआ फैसला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2019-2020 के लिये बजट सत्र 4 फरवरी को बुलाये जाने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने का फैसला लिया है। यह सत्र 4 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर 1063 कांस्टेबलों की भर्ती करने का निर्णय लिया। इनमें 213 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में साक्षात्कार के माध्यम से अनुबंध के आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य में नई 'उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना' शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के चयनित लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, पहला भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेंडर चूल्हा आदि प्रदान किया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिया जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत बी-ग्रेड के किन्नू/माल्टा/संतरा को 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा सी-ग्रेड को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रापण को स्वीकृति प्रदान की। फल उत्पादकों की आवश्यकतानुसार 54 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 10,000 रुपये प्रति माह और विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 15000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान दी।

मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक आधार अंशकालीन जलवाहकों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हों या उसके पास उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया कम आय का प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा विधवा, ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो, पति द्वारा परित्यक्त महिला, अपंग या अनाथ व्यक्ति को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में आपातकाल में मरीजों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के तहत 46 नई एम्बुलेंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में कागंड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दौरा को अस्पताल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

सिरमौर जिले के राजगढ़ अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 करने और विभिन्न श्रेणियों के 25 पद सृजित करने का निर्णय लिया।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

ऊना जिले के बंगाणा कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज बंगाणा और सिरमौर जिले के नाहन स्थित राजकीय संस्कृत कॉलेज का नाम गौरक्षनाथ राजकीय संस्कृत कॉलेज नाहन करने को मंजूरी प्रदान की।

सोलन जिला में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने बागवानी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अनुबंध आधार पर बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर एक्टेंशन ऑफिसर के 64 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के 14 पदों को भरने तथा वैटनरी गायनाकॉलोजी और आबस्टेटट्रिक्स के सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

उपाध्यक्ष सक्षम गुड़िया बोर्ड कार्यालय को सुचारू और प्रभावी कार्य करने के लिए विभिन्न पदों के सृजन व उनके भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

आयुवेर्दिक विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर कार्यालय सहायकों के 10 पदों के सृजन के अतिरिक्त सीधी भर्ती के माध्यम से विभाग में लिपिकों के आठ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

चम्बा जिले की ग्राम पंचायत रठियार के गाट में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित एक नया पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में मण्डी जिले के पशु औषधालय रोहाण्डा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, मण्डी जिले की ग्राम पंचायत दिश्टी के अन्तर्गत पशु औषधालय जांच को पशु अस्पताल, शिमला जिले के पशु औषधालय बमटा को पश अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन अस्पतालों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक स्टाफ का सृजन तथा सृजित पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिले के पुलिस स्टेशन नूरपुर के अन्तर्गत सदवां में नई पुलिस पोस्ट को विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने पुलिस स्टेशन काला अम्ब में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों तथा सिरमौर जिले के पुलिस स्टेशन संगड़ाह में आठ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने खसरा नंबर 123 के तहत वक्फ संपत्ति 1647.80 वर्ग मीटर को मापने के लिए उप. मोहल बालूगंज, तहसील और जिला शिमला में 30 वर्ष की अवधि के लिए 26,991 रुपये प्रति माह की दर पर पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ से राज्य के शिक्षा विभाग को पट्टे पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से जूनियर ऑफिस एसिसटेंट आईटी के तीन पदों तथा कलर्क का एक पद सृजन करने तथा भरने का निर्णय लिया।

इएनए/एब्सोल्यिट एलकोहल/एथनॉल/इथाईल एलकोहल/रैक्टिफाईड स्पिरिट तथा स्पैशियली डीनेचर्ड़ स्पिरिट को हिमाचल प्रदेश लिक्वर लाईसेंस रूल्स-1986 के तहत एल-19 लाईसेंस में शामिल करने का निर्णय लिया ताकि दवाई/कॉस्मैटिक निर्माताओं को सुविधा मिल सके, वरन् वे इन स्पिरिट को अन्य राज्यों से आयात करने के लिए बाध्य थे। इससे राज्य कोष को सालाना 1.20 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

बैठक में मण्डी जिले के बगसयाड़ में नए खोले गए उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौगी को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने सहित राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला मुहलू खमराडा तथा घौली को राजकीय उच्च पाठशाला स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिले के ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला घाट मुहाठ, थाचाधार, टपनाली, रौड तथा पनियांस तथा सिरमौर जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैथाली और थोंथा तथा उना जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ा खैरला अप्पर को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं में तकनीकी स्टाफ के 32 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।

विभिन्न श्रेणियों के छः पदों के सृजन तथा इन्हें भरने के साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आईटी सैल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिले के मकर सक्रांति मेला तत्तापानी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के लिए नई ई-स्टैम्पिंग योजना को अपनाने का निर्णय लिया। इससे लोग ऑनलाइन स्टाम्प पेपर प्राप्त कर सकेंगे और स्टाम्प के लिए कोषागार अथवा बैंकों में जाने की आवश्यकता नही होगी।

राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2019 के लिए मै. अर्नेस्ट एण्ड यंग को नौलेज पार्टनर बनाने को सहमति प्रदान की। मैसर्ज अर्नेस्ट एंड यंग प्रस्तावित मीट के लिए ज्ञान सामग्री और विपणन सहयोग तैयार करेगा और राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए एक ठोस योजना के साथ सामने आएगा। यह रोड शो आयोजित करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित करेगा। यह एमओयू पर हस्ताक्षर करने और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन में सरकार की सहायता भी करेगा।

मंडी जिला के बगश्याड़ में आवश्यक पदों के सृजन और पदों को भरने के साथ-साथ बागवानी वस्तु विषय विशेषज्ञ कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा प्रदान करने के लिए ऊना जिले के गगरेट में नया सब डिवीजन (सिविल) बनाने के लिए भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जाँच करने के लिए उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

सिरमौर जिले में हरिपुरधार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके आवश्यक पदों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मंजूरी दी।

ऊना जिले के बसदेहड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों का सृजन तथा भरने की मंजूरी प्रदान की।

शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत दयोठी में ग्राम धारतुपनु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और चौपाल में बलघार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति दी।

मंडी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाडागुशैणी का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने व आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की।

शिमला जिले के चमियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया और आवश्यक पदों के सृजन के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भी भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से स्टेनो टाइपिस्ट के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया।

नहीं रहे कॉमरेड मोहर सिंह

शिमला/शैल। हिमाचल में वामपंथी पार्टी माकपा के संस्थापक सदस्य व वामपंथ के हस्ताक्षर कामरेड मोहर सिंह का बीती रात को पीजीआई में चंडीगढ़ में निधन हो गया। वामपंथी पार्टी माकपा के लाल झंडे में लपेट कर उनके पार्थिव शरीर का सुबह इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज को दान कर दिया गया। वामपंथियों के बीच गुरू जी के नाम से मशहूर कामरेड मोहर सिंह का प्रदेश में वामपंथ की जडे जमाने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं।

25 दिसम्बर 1948 को शिमला जिला की दुर्गम तहसील कुपवी के गांव चलायन में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे मोहर सिंह ने कठिन परिश्रम करके पढ़ाई की और एक दुर्गम क्षेत्र से निकलकर प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमफिल किया। इस बीच उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर 1974 में मोहर सिंह ने सीपीआई (एम) की सदस्यता ग्रहण की और 1977 में पार्टी के कुलवक्ती कार्यकर्ता हो गए। इसी बीच विश्वविद्यालय में एसएफआई को गठित करने में भी इनका अहम् योगदान रहा। 1977 में जब पंजाब से अलग होकर प्रदेश में पार्टी का पुनर्गठन किया गया और 5 सदसीय तदर्थ कमेटी बनाई गई तो उन पांच सदस्यों में मोहर सिंह भी एक सदस्य रहे। कामरेड ताराचन्द उस कमेटी के संयोजक थे।

1985 से 1991 तक मोहर सिंह पार्टी के कार्यवाहक सचिव रहे और 1991 में माकपा के आठवें सम्मेलन में उन्हें पार्टी का सचिव चुना गया। वे 2004 तक पार्टी के राज्य सचिव रहे। प्रदेश में भारत की जनवादी नौजवान सभा को बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कामरेड ने ताउम्र वाम विचारों आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादा रहा। मोहर सिंह प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक रहे। उनमें काडर की सही पहचान करने की अद्भुत क्षमता थी। आज प्रदेश में माकपा का अधिकतर वरिष्ठ नेतृत्व उन्हीं की खोज और मार्गदर्शन का प्रतिफल है।

माकपा के केन्द्रीय कमेटी के पूर्व सदस्य एवं पूर्व राज्य सचिव को करीब एक सप्ताह पहले उन्हें पक्षाघात हुआ था। माकपा ने कामरेड मोहर सिंह के देहांत को अपूर्णीय क्षति बताते हुए गहरा शोक प्रकट किया है।

शनिवार को मोहर सिंह की इच्छानुसार उनके परिजनों और पार्टी के सैंकड़ों सदस्यों की मौजूदगी में उनका शव इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला को सौंप दिया गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और अंतिम विदाई दी गई।

माकपा के सचिवमंडल के सदस्य और विधायक राकेश सिंघा ने अपने अल्प वक्तव्य में कहा कि कॉमरेड मोहर सिंह का जीवन सही मायनों में प्रेरणादायक है। वे जीवनभर विचारों का दान करते रहे और मरने के बाद सामाजिक सेवा के निमित अपनी देह का भी दान कर दिया। सिंघा ने कहा कि गुरूजी अपने अंतिम दिनों में भी प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों पर शोध कर रहे थे। पार्टी उनके द्वारा किए गए शोध कार्य का प्रकाशन करेगी ताकि अन्य शोधकर्ता भी उससे लाभान्वित हो सके।

माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कहा कि 29 जनवरी 2019 को गेयटी थियेटर में मोहर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए शोकसभा आयोजित की जाएगी जिसमें माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे।

ओंकार शाद ने कहा कि यह सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा होगी जिसमें सीपीआई (एम) के सदस्य, कॉ. मोहर सिंह के सम्बन्धी और अन्य दलों के लोग और कामरेड के प्रशंसक शामिल हो सकते हैं।

इच्छाएं, समुद्र की भांति अतृप्त हैं पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है।।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

आर्थिक आरक्षण पर उठते सवाल

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान करने के लिये संविधान में संशोधन किया गया है। यह आर्थिक रूप से गरीब अगड़े कौन होंगे इसके लिये ऐसे लोगों के परिवार की आय सीमा आठ लाख तय की गयी है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक ज़मीन नही होनी चाहिये। शहरों में रहने वाले गरीबों के लिये मकान के एरिया का मानक साथ रखा गया है। इस तरह मोटे तौर पर आठ लाख की आय तक व्यक्ति को गरीब माना गया है। इस तरह गरीब की पहचान उसके बीपीएल परिवार होने के रूप में की जाती है। गरीबी के इन मानकों से स्पष्ट हो जाता है कि इस आरक्षण का लाभ लेने के लिये व्यक्ति का बीपीएल होना जरूरी होगा। आठ लाख तक की आय का प्रमाणपत्र लाभार्थि के पास होना आवश्यक होगा। सवर्ण होने का जाति प्रमाणपत्र भी साथ रखना आवश्यक होगा। इस समय 2.5 लाख तक की आय वाले को आयकर से छूट हासिल है लेकिन अब जब गरीब होने के लिये आठ लाख की आय सीमा रख दी गयी है तो स्वभाविक है कि इस आय तक का हर व्यक्ति आयकर से छूट चोहगा। क्या सरकार आठ लाख तक की आय पर आयकर से छूट दे पायेगी यह पता तो आने वाले समय में ही लगेगा लेकिन यह तय है कि इसके लिये मांग उठेगी और या तो उसे मानना पड़ेगा। फिर आठ लाख के मानक में संशोधन करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने यह मानक अपनी सेवाओं के लिये तय किये हैं और राज्य सरकारों को इनमें फेरबदल करने की छूट दे रखी है। ऐसे में बहुत संभव है कि हर राज्य में इन मानकों में भिन्नता आ जाये क्योंकि हर जगह जमीन की कीमतों में अन्तर होगा ही। इसलिये इन मानकों में आने वाले संभावित अन्त: विरोधों के चलते इस आरक्षण को अमली जामा पहनाना इतना आसान नही होगा।

देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसमें सामाजिक रूप से पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिये एक माध्यम आरक्षण का भी सुझाया गया है। लेकिन यह आरक्षण का प्रावधान संविधान के लागू होने के साथ ही शुरू नही हो गया था। बल्कि 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद इन सामाजिक तौर पर पिछड़ो की पहचान के लिये काका कालेश्वर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर लम्बे विचार विमर्श के बाद इन पिछडों की पहचान अनुसूचित जातियों और जन जातियों के रूप में की गयी थी और फिर इनके लिये सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था जो आजतक चल रहा है। इसके बाद 1979 में फिर अन्य पिछड़ा वर्गो की स्थिति पर संसद में चर्चा उठी और इनकी पहचान के लिये वीपी मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट 1980 में आयी और इस कमेटी की सिफारिशों पर 1990 में वीपी सिंह की सरकार के वक्त फैसला हुआ तथा इन पिछड़ा वर्गो के लिये भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मण्डल की सिफारिशों पर अमल करने से पहले इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों को अपने सुझावों के लिये भेजा गया था। कई राज्यों ने इस पर अपनी राय भेजी थी और कुछ ने नहीं। हिमाचल में उस समय शान्ता कुमार की सरकार थी लेकिन इस सरकार ने अपनी कोई राय नही भेजी थी।

इसी के साथ यदि इस विधयेक के उद्देश्यों पर नजर डाली जाये तो उसमें यह कहा गया है कि यह लाभ उन वर्गो को मिलेगा जिन वर्गो का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नही है। यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसमे निश्चित रूप से यह आंकड़ा जुटाना होगा कि इस समय देश में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी नौकरियां सरकार में हैं। इनमे से कितनी किस वर्ग से भरी हुई है अभी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये रखे गये आरक्षित कोटे के मुताबिक व्यवहारिक रूप से इन्हें नौकरियां मिल पायी हैं या नही। यदि इन्हे ही पूरा कोटा नही मिल पाया है तो फिर पहली मांग इनका कोटा पूरा करने की आयेगी। इस स्थिति का दूसरा अर्थ यह होगा कि सवर्ण जातियों को सरकार नौकरियों में पहले ही पूरा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इस आधार पर इन गरीब सवर्णो को अभी सरकारी नौकरियों में वाच्छित आरक्षण मिलने में समय लगेगा। हां शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जायेगी लेकिन इस सबके लिये आंकड़े जुटाने और उनका आकंलन करने में समय लगेगा। इस आंकलन पर भी सहमति बनानी होगी। कायदे से यह सबकुछ इस विधेयक को लाने से पहले हो जाना चाहिये था। लेकिन सरकार ने ऐसा नही किया। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह सबकुछ राजनीतिक जल्दाबाजी में किया गया है।

इस आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका आ चुकी है। गुजरात सरकार ने 2016 में इसी दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिये अध्यादेश जारी किया था जिसे गुजरात उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार इसकी अपील में सर्वोच्च न्यायालय में गयी हुई है और उसकी अपील अभी तक लंबित पड़ी हुई है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करने को सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की पीठ इन्दिरा साहनी मामले में पहले ही निरस्त कर चुकी है। कई उच्च न्यायालय भी कई राज्यों में लाये गये ऐसे प्रावधान को रद्द कर चुके हैं। इसलिये अब किये गये प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय की सहमति मिल पाती है या नही इसका पता तो आने वाले दिनों मे ही लगेगा। लेकिन यह विधयेक लाकर मोदी सरकार जो लाभ लेना चाहती थी उसमें कांग्रेस ने इसे राज्य सभा में समर्थन देकर सफल रूप से सेंध लगा दी है क्योंकि यदि राज्य सभा में कांग्रेस समर्थन न देती है तो यह पारित नहीं हो पाता। अभी कई दलित संगठन इसके विरोध में उतरने लग पड़े हैं उन्हें लग रहा है कि इसके माध्यम से आने वाले दिनों में उनके कोटे पर डाका डाला जायेगा। इस परिदृश्य में यह संभावना बहुत बलवती लग रही है कि यह विधेयक लाकर सरकार को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। क्योंकि दलित नाराज हो रहे हैं और सवर्णो में कांग्रेस पूरी बराबर की भागीदार बन गयी है।

तीन तलाक को राजनीतिक चश्में से न देखे सत्ता व विपक्ष

गौतम चौधरी

इन दिनों तीन तलाक पर बवाल मचा हुआ है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीन तलाक पर विधेयक ले आई है। सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में बहुमत से पास भी करा लिया है और अब वह विधेयक उच्च सदन में है। संसद के निचले सदन में सत्ता और विपक्ष में इस मामले को लेकर तीखी नोक-झोंक भी हुई लेकिन सरकार के पास बहुमत होने के कारण विधेयक पास हो गया। अब उच्च सदन में विधेयक पास होना है, तभी उसे संविधान का अंग माना जाएगा और वह कानून बन पाएगा। हालांकि यहां पास होना उतना आसान नहीं है जितना आसान निम्न सदन में था। यहां सरकार के पास बहुमत की कमी है साथ ही सरकार के सहयोगी सांसद भी सरकार के साथ नहीं है। ऐसे में विधेयक का पास होना कठिन है।

इस संवैधनिक मर्यादा से पहले, विधेयक के हेतु और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। सवाल का खड़ा होना स्वभाविक है। चूंकि यह देश के लगभग 26 करोड़ मुसलमानों का मसला है। चुनांचे मुस्लिम नेताओं का कहना है कि देश में जम्हुरियत है। संविधान कहता है कि भारत में प्रचलित किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ न की जाए लेकिन सरकार मुस्लिम परंपराओं पर प्रहार कर रही है, जो भारतीय संविधान की मूल प्रकृति के खिलाफ है। तीन तलाक के मामले में मुसलमानों के पास इसके अलावा और कोई तर्क नहीं है। मुस्लिम विद्वान इस मामले में बहस से बचते हैं। उनका सीधा आरोप है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए वह मुस्लिम परंपराओं पर प्रहार कर रही है। कुल मिलाकर यह तर्क अपने स्थान पर सही हो सकता है लेकिन इस परंपरा के कारण लगभग प्रतिदिन जिन मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में मुस्लिम विद्वान और नेता मौन साध लेते हैं।

इस्लाम का आधार कुरान-ए-पाक है। मुस्लिम विद्वान मौलाना आलम बताते हैं कि कुरान-ए-पाक में तलाक तीन महीने में देने का विधान है लेकिन कोई मर्द अपनी औरत को एक साथ तीन तलाक दे देता है तो वह मान्य होगा। अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम के सर्वमान्य ग्रंथ, कुरान-ए-पाक में जब तीन महीने में तलाक का विधान है तो फिर इकट्ठे तीन तलाक की परिपाटी कब प्रारंभ हुई और क्यों प्रारंभ हुई, इस पर भी इस्लाम के विद्वान मौन साध लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में जो कायदे दर्ज किए गए हैं वे बहुत हद तक जायज हैं लेकिन बाद के कालखंड में मर्दवादी संप्रदाय के लोगों ने औरतों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस प्रकार के कानून जोड़ दिए होंगे। खैर, जो भी हो, इस्लाम के मूल में तलाक की प्रक्रिया आसान नहीं थी लेकिन ऐसा लगता है कि मूल प्रकृति और प्रवृति के साथ कालांतर में जरूर छेड़छाड़ की गयी होगी। इसका उदाहरण हम हिन्दुओं के धर्मग्रंथों में भी देखते हैं। मसलन अवसरवादी और स्वार्थी तत्व सत्ता के सहयोग से समाज को संचालित करने वाले धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ करते रहे हैं। यह सर्वविदित है। हालांकि मुसलमान नेताओं का यह कहना भी जायज है कि उनकी परंपराओं में छेड़छाड़ न की जाए लेकिन जब परंपरा राष्ट्र की मर्यादाओं को तिरोहित करने लगे और वह परंपरा देश के संविधान को आईना दिखाने लगे तो सत्ता का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। वर्तमान सरकार की मंशा चाहे जो हो लेकिन मुसलमानों की इस परंपरा ने देश के संविधान की मूल प्रकृति के खिलाफ आवाज बुलंद करना प्रारंभ कर दिया है इसलिए सत्ता का हस्तक्षेप यहां जरूरी हो जाता है।

इस्लाम के मानने वाले, या फिर मुस्लिम नेता इस बात को लेकर भी मौन साध लेते हैं कि आखिर तलाक के वर्तमान स्वरूप को दुनिया के प्रभावशाली मुस्लिम देशों ने क्यों नकार दिया? बगल का पड़ोसी देश, पाकिस्तान में तीन तलाक के वर्तमान स्वरूप में संशोधन किया जा चुका है। वर्तमान सत्ता पक्ष के लोगों का तर्क है कि तलाक की वर्तमान प्रक्रिया कालांतर में देश की अखंडता पर चोट कर सकती है। यह तर्क भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसमें जान भी है। आज जिस प्रकार इस विधेयक का विरोध हो रहा है उससे तो साफ लगने लगा है कि आने वाले समय में ऐसी बहुत सी परंपरायें देश के संविधान को आईना दिखाएंगे और तब संविधान को मौन रहना पड़ेगा। ऐसा स्वभाविक रूप से देश की अखंडता पर चोट करेगा। देश चलाने वालों को इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए।

यहां मैं शाह बानो का जिक्र करना चाहूंगा। एक 62 वर्षीय मुसलमान महिला, पांच बच्चों की मां को 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाह बानो पति से गुजारा लेने के लिये अदालत पहुचीं। उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते मामले को सात साल बीत गए। उसे न्याय मिला भी। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी भारतीय नागरिक पर लागू होता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शाह बानो को निर्वाह-व्यय के समान जीविका दी जाये। इस निर्णय को मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम पर ही प्रहार बता दिया और जबरदस्त तरीके से इस निर्णय को मुस्लिम विरोधी कहकर प्रचारित करने लगे।

इस मामले को लेकर 1986 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजीव गांधी की सरकार ने एक कानून पास किया, जिसने शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। इस कानून के अनुसार वह आवेदन जो किसी तालाकशुदा महिला के द्वारा अपराध दंड संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत किसी न्यायालय में इस कानून के लागू होते समय विचाराधीन है, अब इस कानून के अंतर्गत निपटाया जायेगा चाहे उपर्युक्त कानून में जो भी लिखा हो। निःसंदेह राजीव सरकार के द्वारा लाया गया कानून संविधान की मूल प्रकृति के खिलाफ है, जिसे देश के हित के लिए नहीं एक खास धार्मिक समूह के हित के लिये लिया गया था। इस प्रकार यदि हर साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक समूह यह मांग करने लगे तो देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस देश को एक व्यवस्थित और प्रभावी समान नागरिक संहिता की भी जरूरत है।

रही बात परंपराओं पर चोट करने की तो इस देश में केवल मुस्लिम परंपराओं पर ही चोट नहीं की जा रही है। इससे पहले हिन्दुओं के विवाह एक्ट में भी व्यापक संशोधन किया जा चुका है। दहेज लेने और देने की परंपरा हिन्दुओं में बड़े पैमाने पर है लेकिन उसे गैरकानूनी माना गया। हिन्दुओं में बेटी को पिता की संपत्ति में हक का विधान नहीं है लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया और बाकायदा कानून बना दिया गया। इसलिए यह तर्क देना कि भारत सरकार केवल मुस्लिम विरोध के कारण तीन तलाक पर कानून बनाना चाहती है यह सरासर गलत है। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को मुस्लिम विद्वानों का सहारा लेना चाहिए था। भारत के ज्यादातर मुस्लिम संगठन और विद्वान भी इस परंपरा के खिलाफ हैं लेकिन सरकार अपने राजनीतिक फायदे को लेकर थोड़ी जल्दबाजी में दिख रही है। मुस्लिम संगठन और विद्वानों को विश्वास में लेकर इस प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाया जाता तो मैं समझता हूं कि इसे पारित कराने में और इसे कानून का रूप देने में आसानी होती लेकिन जल्दबाजी और अनरगल प्रचार ने सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि राज्यसभा में यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो इसके लिये विपक्ष से ज्यादा सरकार दोषी होगी क्योंकि सरकार मन से विधेयक को पारित कराने की कोशिश करती तो यह विधेयक पास हो सकता था। इस विधेयक में भी सरकार अपना राजनीतिक नफा- नुकसान सोच कर चल रही है। सरकार को यह लग रहा है कि विधेयक पास हो गया तो भी उसे फायदा है और पास नहीं हुआ तो भी फायदा है। सरकार केवल ध्रुवीकरण और बहुसंख्यक वोटबैंक की राजनीति को साधने के लिए ऐसा कर रही है।

इस मामले में विपक्ष की राजनीति बेहद नकारात्मक कही जानी चाहिए। यह मसला केवल राजनीति का नहीं है। यह देश और संविधान की मार्यादा का मामला है। विपक्ष भी इस मामले को लेकर राजनीति कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसे मुस्लिम वोटबैंक की राजनीति करनी है। यदि वोटबैंक की राजनीति में देशहित को भुला दिया गया तो देश की अखंडता बहुत दिनों तक नहीं बनी रह सकती। इस मामले में विपक्ष को भी अपने अड़ियल रूख को बदलना चाहिए। साथ ही उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्पसंख्यकों से ज्यादा वोट बहुसंख्यकों के पास है, जिसे नरेन्द्र मोदी की रणनीति ने ध्रूविकृत कर दिया है। यदि इस मामले पर वह सकारात्मक भूमिका न निभाएगी तो आसन्न लोकसभा चुनाव में उसे अपेक्षित लाभ के बदले घाटा भी हो सकता है।

संसद में तार तार होते संविधान की फिक्र किसे है....

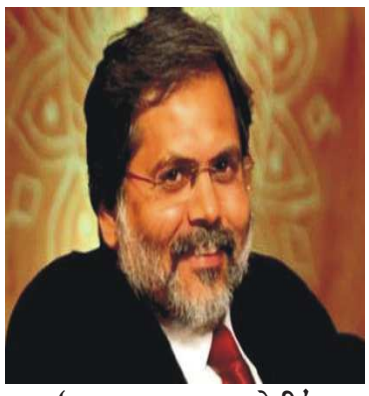

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

मोदी सत्ता के दस फीसदी आरक्षण ने दसियों सवाल खड़े कर दिये। कुछ को दिखायी दे रहा है कि बीजेपी – संघ का पिछड़ी जातियों के खिलाफ अगड़ी जातियो के गोलबंदी का तरीका है। तो कुछ मान रहे हैं कि जातिय आरक्षण के पक्ष में तो कभी बीजेपी रही ही नहीं तो संघ की पाठशाला जो हमेशा से आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को आरक्षण देने के पक्ष में थी उसका श्रीगणेश हो गया। किसी को लग रहा है कि तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी के दलित प्रेम से जो अगडे रुठ गये थे उन्हे मनाने के लिये आरक्षण का पासा फेंक दिया गया, किसी को लग रहा है अम्बेडकर की थ्योरी को ही बीजेपी ने पलट दिया जो आरक्षण की व्यवस्था इस सोच के साथ कर गये थे कि हाशिये पर पड़े कमजोर तबके को मुख्यधारा से जोडने के लिये आरक्षण जरुरी है। तो कोई मान रहा है कि शुद्ध राजनीतिक लाभ का पासा बीजेपी ने अगड़ों के आरक्षण के जरीये फेंका है, तो किसी को लग रहा है कि बीजेपी को अपने ही आरक्षण पासे से ना खुदा मिलेगा ना विलासे सनम, और कोई मान रहा है कि बीजेपी का बंटाधार तय है क्योंकि आरक्षण जब सीधे –सीधे नौकरी से जोड दिया गया है तो फिर नौकरी के लिये बंद रास्तो को बीजेपी कैसे खोलेगी। यानी युवा आक्रोश में आरक्षण घी का काम करेगा और कोई तो इतिहास के पन्नो को पलट कर साफ कह रहा है कि जब वीपी सिंह को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने वाले हालात में भी सत्ता नहीं मिली तो ओबीसी मोदी की हथेली पर क्या रेगेंगा। इन तमाम लकीरों के सामानांतर नौकरी से ज्यादा राजनीतिक सत्ता के लिये कैसे आरक्षण लाया जा रहा है और बिछी बिसात पर कैसी कैसी चाले चली जा रही है ये भी कम दिलचस्प नहीं है क्योंकि आरक्षण का समर्थन करती कांग्रेस के पक्ष में जो दो दल खुल कर साथ है उनकी पहचान ही जातिय आरक्षण से जुडी रही है पर उन्ही दो दलो आरजेडी और डीएमके, ने मोदी सत्ता के आरक्षण का विरोध किया। फिर जिस तरह आठवले और पासवान मोदी के गुणगान में मायावती को याद करते रहे और मायावती मोदी सत्ता के खिलाफ लकीरो को गाढ़ा करती रही उसने अभी से संकेत देने शुरु कर दिये हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव वोटरों को भरमाने के लिये ऐसी बिसात बिछाने पर उतारु है जिसमें पार्टियों के भीतर उम्मीदवार दर उम्मीदवार का रुख अलग अलग होगा।

तो क्या देश का सच आरक्षण में छिपे नौकरियों के लाभ का है। पर सवाल तो इस पर भी उठ चुके हैं। क्योंकि एक तरफ नौकरियां है नहीं और दूसरी तरफ मोदी सत्ता के आरक्षण ने अगड़े तबके में भी दरार कुछ ऐसी डाल दी कि जिसने दस फीसदी आरक्षण का लाभ उठाया वह भविष्य में फंस जायेगा। क्योंकि 10 फिसदी आरक्षण के दायरे में आने का मतलब है सामन्य कोटे के 40 फीसदी से अलग हो जाना। तो 10 फीसदी आरक्षण का लाभ भविष्य में दस फीसदी के दायरे में ही सिमटा देगा। पर मोदी सत्ता के आरक्षण के फार्मूले ने पहली बार देश के उस सच को भी उजागर कर दिया है जिसे अक्सर सत्ता छुपा लेती थी। यानी देश में जो रोजगार है उसे भी क्यों भरपाने की स्थिति में कोई भी सत्ता क्यो नहीं आ पाती है ये सवाल इससे पहले गवर्नेस की काबिलियत पर सवाल उठाती थी। लेकिन इस बार आरक्षण कैसे एक खुला सियासी छल है ये भी खुले तौर पर ही उभरा है। यानी सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि देश की कमजोर होती अर्थवयवस्था या विकास दर के बीच नौकरियां पैदा कहां से होगी बल्कि नया सवाल तो यह भी है कि सरकार के खजाने में इतनी पूंजी ही नहीं है कि वह खाली पड़े पदों को भर कर उन्हें वेटन तक देने की स्थिति में आ जाये। यूं ये अलग मसला है कि सत्ता उसी खजाने से अपनी विलासिता में कोई कसर नहीं छोड़ती है।

तो ऐसे में आखरी सवाल उन युवाओं का है जो पाई पाई जोड़ कर सरकारी नौकरियों के फार्म भरने और लिखित परीक्षा दे रहे हैं और इसके बाद भी वही युवा भारत गुस्से में हो जिस युवा भारत को अपना वोटर बनाने के लिये वही सत्ता लालायित है जो पूरे सिस्टम को हड़प कर आरक्षण को ही सिस्टम बनाने तक के हालात बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। यानी जिन्दगी जीने की जद्दोजहद में राजनीतिक सत्ता से करीब आये बगैर कोई काम हो नहीं सकता और राजनीतिक सत्ता खुद को सत्ता में बनाये रखने के लिये बेरोजगार युवाओ को राजनीतिक कार्यकर्ता बनाकर रोजगार देने से नहीं हिचक रही है। बीजेपी के दस करोड़ कार्यकत्ताओं की फौज में चार करोड युवा हैं जिसके लिये राजनीतिक दल से जुड़ना ही रोजगार है। राजनीतिक सत्ता की दौड़ में लगे देश भर में हजारों नेताओं के साथ देश के सैकडो पढे – लिखे नौजवान इसलिये जुड चुके हैं क्योंकि नेताओ की प्रोफाइल वह शानदार तरीके से बना सकते है और नेता को उसके क्षेत्र से रुबरु कराकर नेता को कहां क्या कहना है इसे भी पढ़े लिखे युवा बताते हैं, और सोशल मीडिया पर नेता के लिये शब्दों को न्यौछावर यही पढ़े लिखे नौजवान करते हैं क्योकि नौकरी को तो सत्ता ने अपनी विलासिता तले हड़प लिया और सत्ता की विलासिता बरकरार रहे इसके लिये पढ़े लिखे बेरोजगारों ने इन्ही नेताओं के दरवाजे पर नौकरी कर ली। शर्मिंदा होने की जरुरत किसी को नहीं है क्योंकि बीते चार बरस में दिल्ली में सात सौ से ज्यादा पत्रकार भी किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री या फिर पीएमओ में ही बेरोजगारी के डर तले उन्ही की तिमारदारी करने को ही नौकरी मान चुके हैं। यानी सवाल ये नही है कि आरक्षण का एलान किया ही क्यों गया जब कुछ लाभ नहीं है। बल्कि सवाल तो अब ये है कि वह कौन सा बड़ा एलान आने वाले दो महीने में होने वाला है जो भारत की तकदीर बदलने के लिये होगा। और उससे डूबती सत्ता संभल जायेगी। क्या ये संभव है? अगर है तो इंतजार कीजिये और अगर संभव नहीं है तो फिर सत्ता को संविधाान मान लिजिये जिसका हर शब्द अब संसद में ही तार –तार होता है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना वास्तविक अर्थों में महिलाओं के लिए बनी वरदान

महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना प्रदेश सहित सोलन जिला की महिलाओं

के लिए सही मायनों में वरदान सिद्ध हो रही है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने प्रथम बजट में प्रदेश के जन – जन को लाभान्वित करने एवं समाज के कमज़ोर वर्गो के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 30 नई योजनाओं का सूत्रपात किया। इन्हीं में से एक योजना है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को रसोई गैस कुनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2018 – 19 में 12 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। सभी ज़िलों को चरणबद्ध आधार पर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। सोलन ज़िला को भी योजना के प्रथम चरण में 2328 परिवारों को रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्रदान किया गया। सोलन ज़िला ने प्रथम चरण के इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। जिला में अभी तक 2353 पात्र गृहिणियों को योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना

के अंतर्गत ज़िला के सोलन विकास खण्ड में 470, कण्डाघाट विकास खण्ड में 280, धर्मपुर विकास खण्ड में 474, कुनिहार विकास खण्ड में 443 तथा नालागढ़ विकास खण्ड में 686 परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जहां प्रदेश के सभी परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस सुविधा प्रदान कर रही है वहीं प्रदूषण को कम करने में भी सहायक बन रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के उन सभी परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस सिलेण्डर तथा गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया जा रहा है जो भारत सरकार की उज्ज्वला योजना में सम्मिलत नहीं हैं। महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस नवीन पहल का प्रदेश के सभी परिवारों को लाभ मिल रहा है। योजना के तहत जब हिमाचल के सभी परिवारों के पास रसोई गैस की सुविधा होगी तो ऐसा करने वाला हिमाचल, देश का पहला राज्य बन जाएगा।

प्रदेश सरकार ने सही लाभार्थी तक हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभ पहुंचाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन परिवारों के पास अपना घरेलू रसोई गैस कुनैक्शन अथवा केन्द्र या राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत प्रदत्त गैस कुनैक्शन है उन्हें इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

ऐसे परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कुनैक्शन प्रदान नहीं किया जाता जिनके परिवार से कोई सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी, निगम, बोर्ड अथवा किसी स्वायत्त संस्थान में कार्यरत हों। ऐसे परिवारों को भी इस योजना के अंतर्गत गैस कुनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं जिनके परिवार से कोई सदस्य केन्द्र अथवा प्रदेश सरकार तथा सरकार द्वारा शासित बोर्डो, निकायों, निगमों अथवा बैंक इत्यादि से पैंशन प्राप्त कर रहा हो। सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी इस शर्त के दायरे से बाहर हैं।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत अथवा शहरी निकाय द्वारा प्राप्त आवेदन पर ही किया जा रहा है।

इस योजना ने महिलाओं के समय में भी बचत की है। अब महिलाएं ईंधन की लकड़ी काटने के लिए वनों में नहीं जा रही हैं। अपने समय का उपयोग वे परिवार एवं खेतीबाड़ी के अन्य कार्यो में कर रही हैं। योजना सही मायनों में सारे गृह की ऋणी अर्थात गृहिणी को संबल प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है।

इस संबंध में सोलन जिला के गांव नेरीकलां की कविता देवी, गांव चाबल की निम्मो देवी तथा गांव घड़सी की उषा ठाकुर का कहना है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ऐसी अनूठी पहल है जिसने न केवल उन्हें धूएं एवं प्रदूषण से मुक्ति दिलाई है अपितु परिवार के लिए उनके समय को बढ़ाया भी है।

लद्दाख का अद्भुत बौद्ध मन्दिर, गोम्पा

''डॉ. अशोक जेरथ''

नंगे पर्वतों की श्रृंखलाओं पर स्थित किलेनुमा इमारतें जिन्हें रंग बिरंगी झंडियो से सजाया जाता है, लद्दाख में चारों ओर फैली है। कभी किसी जमाने में इन तक पहुंच बडी कठिन थी पर ये इमारतें हर विदेशी यात्रियों और पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र रही है। कभी ये इमारतें ज्ञान का भण्डार थी और उच्च शिक्षा का माध्यम भी। आज भी इनके प्रकोष्ठों में अनेक हस्तलिखित पाण्डुलिपियां अनुपलब्ध पुस्तकें, मूर्तिकला के अनुपम नमूने तथा पूजा में प्रयोग होने वाला साजो-समान, रेशमी कपडों पर चित्रित तस्वीरें जिन्हें थंका का नाम दिया जाता है, संग्रहीत है। इन्हें देखने और इनका अध्ययन करने के लिये देश विदेश से लोग यहां आते हैं इन इमारतों को बौद्ध मन्दिर या गोम्पा कहा जाता है।

इतिहास गवाह है कि कभी इनका प्रयोग किले के रूप में किया जाता रहा है और इन्हीं के माध्यम से राज्य और जनसाधरण की रक्षा की जाती थी। बौद्ध भिक्षु कुछेक हथियार बन्द किसानों के साथ, जिनका नायक खरपों कहलाता था, इन किलेनुमा इमारतों की रक्षा करते थे। पुराने बौद्ध मन्दिरो में हेमिस, थिकसे, शे, शंकर स्पितुक, फयांग, लामायुरू मूलवेक, आल्वी आदि विद्वानों के अध्ययन का केन्द्र रहे हैं। इन मन्दिरों में हजारों भिक्षु और भिक्षुनियां वास करते थे। पर अब भिक्षुनियों के लिये ये स्थान वर्जित हैं। ये बाहीरी प्रकोष्ठ होते थे जिनमें भिक्षुओं का वास होता था और भीतरी प्रकोष्ठ को कई हिस्सों में बांटा गया था। बीच का बड़ा प्रकोष्ठ दैनिक पूजा पाठ आदि के लिये होता था। इस प्रकोष्ठ को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के लिये प्रयोग किया जाता रहा है। इसके इलावा ध्यान और साधना के लिये प्रकोष्ठ, सभागृह ओर केन्द्रीय प्रकोष्ठ इन मन्दिरों की शोभा बढ़ाते हैं। केन्द्रीय प्रकोष्ठ में महात्मा बुद्ध के किसी रूप की मूर्ति स्थापित होती है। ये प्रतिमाएं बौद्ध साक्य थुबा या भविष्य बुद्ध जिसे चम्बा या बुद्ध के किसी न किसी रूप की मूर्ति स्थापित होती है। दूसरे प्रकोष्ठों में मंजूश्री, वज्रपाणी, तारा, शक्ति या महाकाली की मूर्तियां स्थापित होती हैं मन्दिरों की सीमा पर गुंबदनुमा पिरामिड खड़े मिलेंगे जिन्हें छौतन अथवा सॉरतन कहा जाता है। इन सॉरतनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार मन्दिर तक चली जाती है। लगभग पांच फुट ऊंची और चार फुट से ज्यादा चौडी जिस पर मंत्र खुदे हुए पत्थर रखे होते हैं। इन पत्थरों पर विभिन्न मंत्र उकेरे होते हैं। इन्हें मने कहा जाता है। मंत्रें में ओं मने पद्मे ओं बज्रपाणी हूं, और कभी -2 औं बागेश्री आदि मंत्र खुदे होते हैं इस सारी दीवार को मने की दीवार की संज्ञा दी जाती है।

ये दीवारें अक्सर आबादी से शुरू होने तक होती हैं और एक अनुमान के अनुसार मने पत्थर बुरी रूहों को आबादी में आने से रोकते है। मने दीवार जो हेमिस गुफा तक जाती है। लगभग डेढ किलोमीटर लम्बी है और पांच फुट ऊंची है। यह दीवार बाईस फुट चौड़ी है। इस दीवार में बीच में स्थान स्थान पर छौंतन खड़े हैं। एक विश्वास के अनुसार छौंतन उच्चतम बुद्ध सांग्य कोनचॉक को समर्पित है। मूल शब्द छौंतन का अर्थ दो भागों में ढूंढा जा सकता है छो और तन जिसका अर्थ बनता है पवित्र कुंड। वस्तुत: ये होते भी कुम्भाकार में है। आधार में एक खुला प्रकोष्ठ होता है जिसमें महान लामाओं के अवशेष रखे जाते हैं और अवशेषों के साथ दुनियावी वस्तुयें मसलन रेशमी कपड़े, सोना, चांदी, कीमती पत्थर और कई बर्तन जो अपने जीवन में उक्त लामा ने प्रयोग में लाए हों, भी उस प्रकोष्ठ में रख दिये जाते है। बाद में प्रकोष्ठ को अच्छी तरह बन्द कर दिया जाता है। ताकि उन वस्तुओं को कोई चुरा न सके। लद्दाखी लोग इन गुंबदनुमा छौंतनों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं अत: इस तरह की कोई घटना देखने में नही आई है। इन गुंबदों में सर्वाधिक मंत्र, खुदे पत्थर रखे होते हैं।

लद्दाख में सबसे पुराने गोम्पाओं के जन्मदाता बौद्धगुरू रिनचनजंगपो माने जाते हैं। जिन्होने दसवीं शताब्दी के आस-पास अनेक गोम्पाओं का निर्माण किया था। इन्होने बोद्ध ग्रन्थों, मंत्रों और तिब्बत शैली में चित्रित चित्रों को संग्रह कर इन मन्दिर सबसे स्थापित किया था। न्यारमा, आल्ची, लामायुरू आदि स्थानों पर अनेक मठ और गोम्पा स्थापित किये। न्यारमा को बौद्ध मन्दिर सबसे प्राचीन बौद्ध

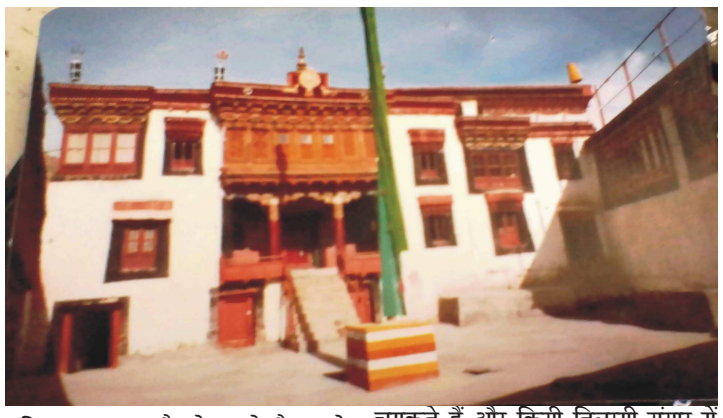

मन्दिर माना गया है जो अपने वैभव के लिये कीभी प्रसिद्ध था लेकिन 13वीं शताब्दी में अनेक बाहरी आक्रांताओं की लूटखसूट के कारण अब इसके केवल अवशेष बाकी बचे हैं। ये अवशेष भी इसकी ऐतिहासिकता और वैभव की ओर सेंकत करते हैं। इन मन्दिरों के बारे में आल्ची के शिलालेखों में उल्लेख मिलता हैं

आल्ची का बौद्ध मन्दिर के बारे में दर्शन और कला का एक विशालकाय भण्डार है। यह अनेक मन्दिरों का एक समूह है जिनके भीत्ति चित्र अपने कलात्मक नमूनो के लिये विश्वभर में प्रसिद्ध हैं इन मन्दिरों के समूह में सुमसेक का मन्दिर सबसे बड़ा है और यह मन्दिर सारे समूहे में बीचो- बीच स्थित है। इसके द्वार पर दो छौंतन एक साथ खड़े है। मन्दिर के सामने वाले फलक लकड़ी पर की गई मीनाकारी के अदभुत नमूनों से सजे हैं। दूसरी मंजिल लकड़ी के तराशे हुए स्तम्भों पर टिकी है जिनके बीच त्रिकोण भित्तियों में बुद्ध के प्रारूप उकेरे गए हैं। बीच में एक बहुत बड़ा छौतन है जिसके तीन और तीन मीटर चौडे मंचों पर बोधिसत्व की बड़ी मूर्तियां हैं ये मूर्तियां नौ फुट से लेकर चौदह फुट ऊंची हैं। सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध मैत्रेय की है जो दूसरी मंजिल तक चली गई है। मन्दिर की दीवारों को कलात्मक ढंग से सजाया गया है। मैत्रेय की मूर्ति के पास इस गोम्पा का इतिहास उकेरा गया है। दूसरा बड़ा प्रकोष्ठ सभागृह में वैरेचना अपने अनुचरों के साथ बिल्कुल केन्द्र में विद्यमान हैं। इस हाल की भीत्तियों पर वैरेचना और हजार बुद्ध के चित्र सारे वातावरण को मुखरित करते दिखते हैं। सभागृह के सामने एक बहुत खुला आंगण है जिसमें पर्वो पर और आम सभा के समय लोग और भिक्षु जमा होते हैं।

फोतू-ला कश्मीर लेह मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। जिसकी ऊंचाई सतह समुद्र से 13432 फुट हैं इसी दर्रे से उतरकर एक पुराने बौद्ध मन्दिर लामायुरू में पहुंचा जा सकता है। लामायुरू के आसपास का वातावरण अति रमणीय है। प्रकृति यहां अठखेलियां करती दिखती है। चट्टानों का अद्भुत स्वरूप और बदलते मोरपंखी रंग पर्यटकों का मन लुभा जाते हैं। इस समूह के मन्दिरों में सबसे प्राचीन वैरेचना का देवस्थल है जिसमें वैरेचना को शेर की पीठ पर बैठा दिखाया गया है। इसके तेज को बढ़ाने के लिये मकर और गरूड़ की मूर्तियां गढ़ी गई है। इसकी बांई दीवार पर ग्यारह सिर वाले अवलोकतेश्वर का रंगीन चित्र है। इसी के साथ वैरेचना का मंडल भी काढ़ा गया है। जबकि बांई दीवार पर बुरी आत्माओं को दूर रखने वाले देवताओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। दांई ओर एक गुफा सी है जिसमें प्रसिद्ध भारतीय तांत्रिक नरोपा की मूर्ति स्थापित है। नरोपा और उसका गुरू तिल्लोपा दो भारतीय तांत्रिकों ने तिब्बत के दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया है। दुखांग के पास ही एक मन्दिर है जो 30 फुट गुणा 30 फुट रकबे का है। यह मन्दिर अवलोकतेश्वर को समर्पित है। यह मूर्ति लगभग सात फुट ऊंची है। इस मन्दिर की भीत्तियों पर चित्रित चित्रों के रंग अति ताजा लगते हैं जैसे अभी हाल ही में इन्हें चित्रित किया गया हो। पूर्णिमा की रात्रि को ये मन्दिर चांद की रोशनी में खूब चमकते हैं और किसी तिलस्मी संसार में पयर्टकों को ले जाते हैं। लामायुरू से हम एक बार फिर मुख्य मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेह के आसपास अनेक बोद्ध मन्दिर फैले हैं इन मन्दिरों में गाहे-बगाहे सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है जिसमें लद्दाखी समाज भाग लेता है। अत: ये संस्थान सांस्कृतिक केन्द्र भी रहे हैं। लद्दाख में मोटे तौर पर बौद्ध धर्म के दो मत प्रचलित हैं। जिन्हे लाल मत्ताधारी और पीत मत्ताधारी के तौर पर जाना जाता है। इन्ही रंगों के आधार पर इनके लामाओं को भी पहचाना जा सकता है। वे लाल अथवा पीले वस्त्र पहनते हैं। अक्सर लोग और लामा अपने हाथों में मंत्र खुदे चक्र लिये होते है। इन्हे मनीचक्र कहा जाता है। इन प्रार्थना चक्रों में मंत्र लिखे कागज होते हैं इन्हे मंत्रों का जाप करते हुए घुमाया जाता है। जितनी बार यह प्रार्थना चक्र घूमता है और जितने मंत्र लिखे कागजों और कपड़ों के टुकड़े इसमें पड़े होते हैं उन्हें गुणा करके जितने मंत्र बनते हैं इतना फल श्रद्धालु पाने का भागीदार होता है। एक विश्वास के अनुसार इन मंत्रों का जाप करने से सांसारिक दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है।

लेह नगर के बहुत पास स्थित है शंकर गोम्पा। यह गोम्पा कभी पीतवस्त्रधारी लामा प्रमुख कौशिक बकुला का निवास स्थान रहा है। पीतवस्त्रधारियों के तीन गोम्पा हैं स्पितुक, शंकर तथा स्तोक। पहले शंकर को लेते हैं। इसमें मुख्य मन्दिर में एक कोने में एक सिहांसन स्थापित है जिसके बांई ओर ब्रज भैरव की एक मूर्ति शोभायमान है। पीछे बने एक मंच पर बौद्ध गुरू त्सांग खापा तथा उसके दो शिष्यों की मूर्तियां स्थापित है। इनके सामने अतीशा और शाक्यमुनि की मूर्तियां विराजमान है। बांए कोने में ग्यारह सिरधारी अवलोकतेश्वर स्थापित हैं और दाई ओर एक अलमारी में तिब्बती शैली की अनेक पीतल की छोटी मूर्तियां संग्रहीत है। भीतर की भित्तियों को विभिन्न देवी देवताओं के चित्र से सजाया गया है। इस मन्दिर के उपर एक बरामदा है। जिसे बहुत बारीकी के साथ सजाया गया है। इन चित्रों में मठ की सत्ता को प्रतीकात्मक तरीके से उकेरा गया है। बीच -बीच में लिखाई द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। इस मन्दिर के खुले आंगन में सभायें आयोजित की जाती है। शंकर से नगर की ओर वापसी पर खेतों के साथ -साथ पानी का एक स्त्रोत बहता है जिससे आस-पास के खेतां की कसंचाई की जाती है। नगर के बाहर, शंकर गोम्पा के साथ लगे खेत मन्दिर की जायदाद हैं जहां अक्सर लोग गुड़ाई आदि कर पुण्य का काम करते हैं। रास्ते में हमें एक दूसरे से जुड़े दो छौंतन भी दिखाई दिये जो अनके रंगो में चित्रित थे कई देवी देवताओं के चित्र इन छौंतनों पर अंकित हैं।

इसी मत का दूसरा मठ स्पितुक गोम्पा है जो लेह से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। स्पितुक वस्तुत: एक गांव का नाम है जिसका अर्थ है उदाहरणीय प्रभावशाली। देखा जाए तो नाम बड़ा सटीक है इस गांव से लेह और इसके आसपास का विहंगम दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है चूंकि यह गोम्पा विभिन्न सतहों पर टिकी चट्टानों पर बना है अत: कई अनगढ़ सीढियों को तय कर इस तक पहुंचा जा सकता है। यहां पर तिब्बती ग्याहरवें माह की 16 और 17 तारीख को धार्मिक नृत्यों का आयोजना किया जाता है और बाद में बलिदानी केक को काटकर ये नृत्य सम्पन्न किये जाते हैं। मुख्य मन्दिर दुखांग में इस आंगण को पार कर अनेक सीढियां तयकर पहुंचा जा सकता है। यह मन्दिर कई गलियारों पर आधारित है और शुद्ध तिब्बती शैली पर निर्मित है। हॉल में दोनों ओर आसन लगे हैं जो उंचे मंच तक चले गए हैं। यहां एक सिंहासन स्थापित है जो दलाईलामा के लिये सुरक्षित है। इसके बांई ओर ब्रज भैरव की एक मूर्ति स्थापित है और दांई ओर ग्यारह सिर वाली अवलोकतेश्वर की मूर्ति विराजमान है। सिहांसन के पीछे एक संकरा मार्ग अंधेरे प्रकोष्ठ की ओर जाता है जहां गुरू त्सांग खपा ओर उनके दो शिष्यों की मूर्तियों के साथ एक कलात्मक मूर्ति शाक्यमुनि की भी शोभायमान है। उपर के कमरों में कई छोटे -2 मन्दिर हैं जिनमें से एक तीन तांत्रिक मूर्तियां ब्रज भैरव, सम्बर और बहुयासम्जा की एक छौंतन के साथ स्थापित हैं। दांई ओर अतीशा की भी एक मूर्ति स्थित है। एक ओर छोटा मन्दिर गुरू त्सांग खापा और उनके द्वारा चरित्र ग्रंथों को समर्पित है। एक ओर मन्दिर में देवी तारा के 21 शक्तिरूप स्थापित है। इस गोम्पा का सबसे बड़ा आकर्षण काली मन्दिर है। मां काली के दर्शनार्थ कई हिन्दु मतावलम्बी विशेष कर सैनिक इस मन्दिर में आते हैं। सच तो यह है कि यह मूर्ति काली मां की न होकर बज्र भैरव की है पर इसके स्वरूप को देखकर इसे महाकाली के तौर पर पूजा जाता है। इस मूर्ति के साथ -2 महाकाल ओर तीन तांत्रिक देवताओं की मूर्तियां हैं और एक मूर्ति लाह् मोह् देवी की है। जिसे घोड़े पर सवार दिखाया गया है। यह मूर्ति वस्तुत: शक्ति की अवतार दुर्गा की है। अनेक हिन्दु तंत्र मत के देवी देवता बौद्धमत में पैंठ पा गए है पर यह सदियों के अंतराल से हुआ है। इसी गोम्पा के एक कमरे में विकराल दानवी मुखोटे भी संग्रहीत हैं जो दानव नृत्य में वर्ष में एक बार उपयोग में लाए जाते हैं।

स्तोक के मन्दिर इतने वैभवशाली नहीं जितने कि इसके महल हैं। सच तो यह है कि स्तोक लद्दाख के शाही परिवार नामग्याल वंश की गद्दी रहा है इसलिये हर हमलावर का ध्यान स्तोक की ओर जाता रहा है और सबसे ज्यादा लूटपाट और विध्वंस भी यहीं हुआ है। यहीं कारण है कि स्तोक के गोम्पा धीरे-2 अन्धेरों में डूबते चले गए। जहां तक कि पूजा के लिये भी दूसरे गोम्पाओं के लामाओं को बुलाया जाता रहा है। स्तोक के महलों में आजकल एक संग्रहालय स्थापित किया गया है जिसके पिछे शाही परिवार विशेषकर पूर्व सम्राज्ञी का योगदान रहा है इस संग्रह में लद्दाखी संस्कृति से सम्बिन्धित लगभग हर वस्तु विद्यमान है।

शे, नामक गोम्पा लेह मनाली मार्ग पर लेह लगभग 15 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग के पास स्थित है। शे कभी लद्दाख की राजधानी रहा है। अभी भी यहां पुराने महल अपने अतीत के वैभव को लिये खड़े हैं। महान आत्माओं की स्मृति में अनेक छौंतन आसपास फैले हैं। इसमें मठ के दूसरे माले की दीवारें निरंतर जलने वाली दीपक की लपटों से काली पड़ गई हैं। कभी इन पर भी चित्र उकेरे गए होंगे पर अब इनके नामों निशान भी दिखाई नही देते। इसी माले पर स्थित एक मन्दिर में शाक्यमुनि की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है। इसकी दीवारों पर अनेक बौद्ध गुरूओं के चित्र कलात्मक ढंग से उकेरे गए हैं। इसके प्रांगण के दूसरी ओर एक छोटा सा मन्दिर है जिसमें बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। इस मन्दिर की दीवारें बहुत सुन्दर ढंग से चित्रित की गई हैं। यह मन्दिर सेंज नामग्याल की पत्नी कलजांग, जोकि बलतीस्तान की राजकुमारी थी, ने बनवाया था। इसकी निर्माण तिथि ठीक से पता नही फिर भी अनुमानत: 17 वीं सदी में इसका निर्माण माना जाता है।

शे से लगभग पांच किलोमीटर दूरी इसी मार्ग पर एक पहाड़ी स्थित है। थिकसे, का प्रसिद्ध गोम्पा। यह मठ आज भी उसी प्रकार जीवंत है जिस प्रकार यह निर्माणावस्था में था। कुछ सौ सीढियां तय करने पर हमें करीने से सजी हुई प्रार्थना चक्रों की कतार दिखती है जिसे बौद्धमत के श्रद्धालू घुमाते चले जाते है। इन्हें घुमाते हुए वे ओं मन पद्मे हों का जाप करते रहते हैं। यहां से कुछ और सीढ़ियां तय कर एक खुले आगंण में पहुंचा जा सकता है। इस आंगण में एक धर्मध्वज फहराता रहता है। यहीं से दक्षिण दिशा की ओर जाती सीढ़ियां हमें मुख्य मन्दिर में ले जाती हैं जिसमें मैत्रेय की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह पीतवर्णीय मूर्ति तीस फुट तक उंची है और दूसरे माले तक चली गई है। प्रतिमा के कानों में दो लम्बे-2 कुण्डल हैं जिन्हें कीमती पत्थरों से सजाया गया है। सिर पर पांच पंखुडियों वाला ताज सुशोभित है जिनमें पांच ज्ञानबुद्ध प्रतिमूर्त किये गए हैं। हाथ, छाती के आगे, कमल के फूलों की तरह खुले हैं, ताज के दोनो ओर वर्तुलाकार दो झालरें कन्धों तक झूक आई है। इसे पंचध्यानी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकोष्ठ को अनेक बुद्ध के चित्रों से सजाया गया है। यह प्रकोष्ठ कई कतारों में बंटा है। कतारों में आसन सजे रहते हैं जिन पर बैठकर लामा पूजा करते हैं। इसी प्रकोष्ठ का दक्षिण पार्श्व कई प्रकार के तांत्रिक आकारों से सुसज्जित हैं ये अच्छी आत्माएं कहलाती हैं जो बुरी रूहों से युद्ध कर उन्हें भगाती हैं ऐसी मान्यता है। प्रकोष्ठ के बांए पार्श्व में बड़े -2 रैक पड़े हैं जिन पर अनेक हस्तलिखित पाण्डुलिपियां संग्रीहित हैं एक और विभिन्न आकार के नगाड़े रखे हैं जो सामूहिक पूजा के समय उपयोग में लाए जाते रहे है। यह मुख्य प्रकोष्ठ एक संकरे मार्ग से भीतरी प्रकोष्ठ तक जाता है जहां से एक ओर संकरा रास्ता सभागृह की ओर जाता है। यहां बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है जिसके दोनों ओर बुद्ध मैत्रेय की मूर्तियां है। इसी के साथ एक महाकाली की भी मूर्ति है। इसका मुहं ढका हुआ है। वर्ष में केवल एक बार इसका मुहं खोला जाता है वह भी उत्सव के समय। सभागृह के एक ओर एक अन्य प्रकोष्ठ में एक शिक्षण संस्थान भी है। जहां बौद्ध भिक्षु दर्शन की शिक्षा पाते हैं।

वापसी पर चोगलमसर के पास अभी हाल ही में निर्मित जापानी शैली में बना बौद्ध गोम्पा मुख्य मार्ग के पास ही स्थित है। इसका नाम जीवेत्साल अर्थात् शांति का घरौंदा रखा गया है। बाहर मैदान में एक उंचे संगमरमर के मंच पर आदम कद बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। वस्तुत: यह मन्दिर और मैदान दलाईलामा के आगमन पर, उनके प्रवचनों के लिये उपयोग में लाया जाता है। दलाईलामा जब भी लेह में आते हैं यहीं पर जनसाधारण को प्रवचन देते है। मुख्य मार्ग के दोनों ओर छोटे मोटे बडे छौंतन स्थापित हैं जो अपने में लद्दाख का इतिहास भी हैं और यहां की ही संस्कृति का आधार भी।

ईमानदार प्रयास का 1 एक साल विकास का

स्वस्थ हिमाचल
का सपना साकार करेगी
आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना

दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से
लाभान्वित होगी 50 करोड़ आबादी

हिमाचल प्रदेश के २२ लाख लोगों को मिलेगा
स्वास्थ्य बीमा का लाभ

- लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चयनित परिवार इस योजना के तहत लाभ के पात्र
- पूरे प्रदेश में सभी सरकारी और पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा
- पंजीकृत अस्पताल में इलाज के समय अपना राशन कार्ड/आधार कार्ड अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड साथ लेकर जाएँ
- प्रदेश में अब तक सरकारी तथा प्राइवेट 175 अस्पताल पंजीकृत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : अपने जिला में बी.एम.ओ./सी.एम.ओ. से अथवा लॉग इन करें
www.hpsbys.in दूरभाष: 0177-2629840 HPSBYS

सूचना एवं जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सहकारी हाऊसिंग सोसायटीयों में धारा 118 की अनुमति को लेकर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में किसी भी गैरकृषक के लिये भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध है। ऐसी खरीद के लिये पहले सरकार से भू राजस्व अधिनिमय की धारा 118 के तहत अनुमति चाहिये। कोई भी संस्था/सभा चाहे वह सहकारी नियमों या अन्य के तहत पंजीकृत हो वह गैर कृषक परिभाषा में आती है यह नियमों में पूरी सपष्टता से परिभाषित है। इसमें किसी को कोई छूट नही है। प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम की धारा 118 की उल्लघंना के मामले कई बार चर्चा में आ चुके हैं और इस पर जांच आयोग तक बैठ चुके हैं। इन आयोगों की रिपोर्ट विधानसभा तक में चर्चा में रही है। आज भी इस धारा की उल्लघंना को लेकर हर विपक्ष हर सत्ता पक्ष पर हिमाचल बचेने के आरोप लगाता आया है। धारा 118 में अनुमति लेकर खरीदी गयी जमीन को दो वर्ष के भीतर उपयोग में लाना होता है और ऐसा न हो पाने पर यह अनुमति रद्द हो जाने का प्रावधान है लेकिन इस प्रावधान पर अमल कई बड़े लोगों के मामले मे नही हुआ है इसके भी कई मामले सामने हैं। सोलन में प्रदेश के एक बड़े आईएएस अधिकारी ने वर्षों पहले 118 की अनुमति लेकर जमीन खरीदी थी जिस पर आज तक कोई मकान आदि नही बना है। यह मामला सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है लेकिन इस पर आजतक कोई कारवाई नही हुई है। यह अधिकारी इस समय भारत सरकार में सेवाएं दे रही है।

अभी पिछले दिनों शिमला की सनातन धर्मसभा द्वारा 1992 में लीज पर स्कूल भवन बनाने के लिये सनातन धर्म स्कूल के सामने 3744 वर्ग गज जमीन ली गयी थी। इस पर दो वर्ष के भीतर स्कूल भवन बनाया जाना था। लेकिन अब 2018 में इस जगह पर स्कूल की जगह होटल नुमा सरायं बन गयी है और मजदूर कानून कुछ नही कर पा रहा है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2013 में दिये एक फैसले में विलेज कॉमन लैण्ड के हर तरह के आवंटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था और ऐसे आवंटन के लिये सारी राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों/कानूनों को एकदम गैर कानूनी करार देकर इस तरह के आवंटनो को रद्द करने के आदेश किये हुए हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को अंगूठा दिखाते हुए ऐसे आवंटन किये जा रहे हैं। इसमें ताजा मामला मातृवन्दना को दी गयी करीब 30 बीघे जमीन का सामने आ चुका है। लेकिन यहां पर भी कारवाई के नाम पर कानून बेबस हो गया है।

इसी कड़ी में सबसे चौंकाने वाला सच तो सहकारी हाऊसिंग सभाओं के रूप में सामने आया है। प्रदेश में चम्बा, लाहौल स्पिति और किन्नौर को छोड़कर हर जिले में सहकारी हाऊसिंग सभाएं पंजीकृत हैं। एक आरटीआई के तहत आयी सूचना के अनुसार इस समय प्रदेश में करीब 90 ऐसी संस्थाएं पंजीकृत है। इस सूचना के अनुसार ऊना मे आठ, देहरा-2, बिलासपुर-3, नूरपुर 2, हमीरपुर-2, धर्मशाला-5, मण्डी-5, कुल्लु-2, सोलन-14, जुब्बल -14, रोहडू-1 और शिमला में 33 ऐसी संभाएं पंजीकृत हैं। इसमें सिरमौर की सूचना अभी तक नही आ पायी है। पंजीकृत संभाओं के इस आंकड़े को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में हाऊसिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसके लिये सहकारिता नियमों के तहत पंजीकरण का भी पूरा लाभ उठाया जा रहा है। क्योंकि पंजीकृत सभाओं के लिये सरकार से भी जमीन लेने का प्रावधान नियमों में उपलब्ध है। इसका लाभ उठाकर कितनी सभाओं ने सरकार से जमीन ले रखी है इसके आंकड़े अभी सामने नही आये हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कई सभाएं हैं जिन्होंने सरकार से जमीन ले रखी है। ऐसी कितनी सभाओं ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन खरीद की अनुमति ले रखी है इसकी कोई पुख्ता जानकारी संबंधित विभागों के पास उपलब्ध नही है। इससे यहआशंका पुख्ता हो जाती है कि सहकारिता के नाम पर 118 की अनुमति के संद्धर्भ में कोई बड़ा घपला हो रहा है। कई ऐसी सभायें भी सामने आयी हैं जिन्होंने पंजीकरण तो हाऊसिंग के नाम पर करवा रखा है लेकिन काम कुछ ओर किया जा रहा है।

आरटीआई के तहत आयी सूचना के तहत शिमला में 33 सहकारी हाऊसिंग सभाएं पंजीकृत है। इनमें से 12 सभायें डिफंक्ट हो चुकी हैं। इन पर नियमों की अनुपालना न करने के भी आरोप हैं। इन सभाओं में से सात तो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इस प्रक्रिया में चल रही सभाओं में शिवालिक हाऊसिंग सोसायटी संजौली, सतलुज जलविद्युत निगम बीसीएस शिमला, हिमाचल राजभवन कर्मचारी हाऊस बिल्डिंग सोसायटी, इण्डियन एक्स सर्विस मैन वैल्फेयर हाऊसिंग सोसायटी संजौली, दी एक्सचेंज हाऊस बिल्डिंग सहकारी सभा निकट लिफ्ट, पदकम नगर हाऊस बिल्डिंग सोसायटी रामपुर और हि.प्र. एजी ऑफिसरज़ सहकारी हाऊसिंग सोसायटी बेमलोई शिमला शामिल है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही सोसायटीयों के लेखे-जोखों को लेकर कई विवाद चल रहे हैं। शिमला की इन सोसायटीयों को लेकर एक रोचक जानकारी यह सामने आयी है कि सतलुज जल विद्युत निगम के नाम पर दो सभाएं पंजीकृत हैं और दोनो ही दिवालिया प्रक्रिया में हैं। इसमें पत्रकारों की भी दो सभाएं पंजीकृत हैं। इनमें एक एचपी मीडिया पर्सन हाऊस बिल्डिंग सहकारी सोसायटी अल मंजिल यूएस क्लब गेट शिमला और शिमला जर्नलिस्ट हाऊस बिल्डिंग सोसायटी दी माल के नाम से पंजीकृत है। इसी तरह आईएएस, आईएफएस और जजों की भी हाऊसिंग सोसायटीयां पंजीकृत है। जिन सोसायटीयों ने सरकार से जमीने ले रखी हैं उनमें आई ए एस अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहां मकान बनाकर आगे बेच भी दिये हैं जो शायद नियमों के विरूद्ध हैं। आई ए एस सोसायटी में तो गैर आईएएस को सदस्य बनाने का भी प्रावधान नही है। लेकिन चर्चाओं के मुताबिक अब कुछ गैर आईएएस को भी मकान बेच दिये गये हैं जो सीधे नियमों के विरूद्ध है लेकिन यहां भी कानून बेबस हो गया है।

RTI Matter
Regd. Ad

No: 3-28/2005-Coop.-IV- 3060
Office of the Assistant Registrar,
Cooperative Societies, Shimla /
State Public Information Officer-171001

To

Dr. Pawan Kumar Banta,
House No. 500 A, Sector-IV,
New Shimla - 171009

Dated: Shimla-1 the 22th December, 2018.

Subject: Application under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 5th November, 2018 received in this office through State Public Information Officer, Directorate of Cooperation, H.P. Shimla - 9 on 30.11.2018. The information required vide point No. 1 consisting of two pages is enclosed herewith for favour of information please. As intimated earlier the information pertaining to Point No. 2 & 3 is not available in this office, Hence cannot be supplied.

Enclosed : As above

State Public Information Officer/
Assistant Registrar,
Cooperative Societies, Shimla,
DDO Code: 515
Ph. No. 0177-2657027

Information Under Right to Information Act, 2005 : Dr. Pawan Kumar Banta

S.NO.	NAME OF THE SOCIETY	Remarks
1	THE HIM LEGISLATIVE HOUSE BOULIDING COOP. SOCS LTD SHIMLA DISTT. SHIMLA H.P.	
2	THE SWAMI VIVEKANAND HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD CHAURA MAIDAN DISTT. SHIMLA,	Defunct
3	THE PROGRESSIVE H/B COOP. SOCS LTD. U.S.CLUB SHIMA DISTT. SHIMLA H.P.	Defunct
4	THE SHIVALIK HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD SANJOLI DISTT. SHIMLA H.P.	Under Liquidation
5	THE NEW LEGISLATURE HOUSING CO OP SOCIETY LTD H.P.VIDHAN SABHA SHIMLA-4	Defunct
6	THE KRARA DEVI HOUSE BUILDING COOP.SOCS.LTD BOILEUGANJ DISTT. SHIMLA H.P.	Defunct
7	THE NEGIS HOUSE BUILDING CO-OP SOCIETY LTD H.P.SECTT.CHHOTA SHIMLA H.P.	Defunct
8	THE HIMALYAN HOUSE COOP. SOCS LTD SOSHANT SAMITRI DISTT. SHIMLA H.P	Defunct
9	THE HIM AAWASIYA COOPERATIVE SOCIETY LTD FLAT NO 2GRAND LODGE NEAR RAM CHANDRA CHOUK SHIMLA 2(H.P)	Defunct
10	THE SHIMLA GREEN HOUSE BUILDING CO-OP SOCIETY LTD WEST VIEW COTTAGE KELESTONA ESTATE SHIMLA 1	Defunct
11	THE H.P.MEDIA PERSON HOUSE BUILDING COOP. SOCIETY LTD. AL MANGIL U.S.CLUB GATE SHIMLA 1	
12	THE H.P. EMPLOYEES HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD BHARAI DISTT. SHIMLA H.P.	
13	THE EVEREST H/B/ COOP. SOCS LTD RASTERPATI BHAWAN DISTT. SHIMLA H.P.	
14	THE SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM HOUSE BUILDING CO OPSOCIETY LTD B.C.S.SHIMLA-2	
15	THE FARM GRUP H/B COOP. SOCS LTD CPRI BAMLOYEE SHIMLA . DISTT. SHIMLA H.P.	Under Liquidation
16	THE MANJUKASH HOUSE BUILDING COOP. SOCS.LTD SHIMLA DISTT. SHIMLA H.P.	
17	THE EKTA H/B COOP. SOCS. LTD SHIMLA-3 DISTT. SHIMLA H.P	
18	THE H.P.RAJ BHAVAN EMPLOYES CO OP HOUSE BUILDING SOCIETY LTD SHIMLA	
19	THE SHIVA HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD BAMLOY DISTT. SHIMLA H.P	Under Liquidation
20	THE I.G.M.C.DOCTORS H.B.CO-OP SOCIETY KAMALA NAGAR SANJAULY DISTT. SHIMLA-6	
21	THE SHIKHAR H.A.S. OFFICERS HOUSE BUILDING CO-OP SOCIETY LTD VASHIST KUNJ CHHAKAR SHIMLA-5	
22	THE SHIMLA SB EMPLOYEES HOUSE COOP.SOCS LTD LAKKER BAZAR DISTT. SHIMLA H.P.	
23	THE INDIAN EX SERVICEMEN WELFARE HOUSE BUILDING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD SANJIAULI SHIMLA -6	
24	THE KSHITIZ H.P. OFFICERS COOP.H/B SOCIETY LTD. SHIMLA H.P.	Under Liquidation
25	THE PUNJAB NATIONAL BANK EMP. H/B COOP. SOCIETY LIFT BRANCH THE MALL SHIMLA -1 HP	
26	THE HIM HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD KASUMPTI DISTT. SHIMLA H.P.	
27	THE PINE GRII HOUSE BUILDING COOP. SOCS.LTD BROD VIEW HOTEL DISTT. SHIMLA H.P.	Defunct
28	THE H.P STATE IFS OFFICERS COOPERATIVE SOCITY LTD ARANYAN BHAWAN TALLAND SHIMLA-2(H.P)	
29	THE CAPITAL JOURNALIST COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. C/O RAKESH SHARMA 12-CX--CHANG BUILDING THE MALL SHIMLA	
30	THE EXACHANGE H/B COOP. SOCS LTD NEAR LEFT DISTT. SHIMLA H.P.	Under Liquidation
31	THE H.P.POLICE AND OTHER OFFICERS CO-OP SOCIETYLTD HARIOM NIWAS COMELY BANK SHIMLA-4	Defunct
32	THE H.P. OFFICER HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD.KASUMPTI DISTT. SHIMLA H.P	
33	THE NEW FLOWER DAIL H.P. COOP. SOCS LTD.KASUMPY DISTT. SHIMLA H.P.	Defunct

Applicant
Sh. Pawan Kumar Banta

(Sh. Het Ram)

34	THE PUJA HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD. TOTUDISTT. SHIMLA H,H.P.	
35	THE PADAKM NAGAR H/B COOP. SOCS LTD RAMPURDISTT. SHIMLA H.P.	
36	THE SHIMLA HOUSING COOP. SOCS LTD. TUTUDISTT. SHIMLA H.P.	Under Liquidation
37	THE ADITYA VIHAR EMPLOYEES HOUSING COOPERATIVESOCIETY LTD. KUSUMPATI TEHSIL AND DISTRICT SHIMLA	
38	THE FRIENDS HOUSE BUILDING COOP. SOCS LTD BALUGANJDISTT. SHIMLA H.P.	
39	THE SHIMLA JOURNALISTS H.B.COOP.SOCS. LTD THE MALLDISTT. SHIMLA H.P.	
40	THE JUDGES HOUSE BUILDING CO-OP SOCIETY LTDDISTT.COURT COMPLEX SHIMLA-1	
41	THE SJVNL OFFICERS HOUSE BUILDING COOPERATIVESOCIETY LTD. NEW SHIMLA	Defunct
42	THE H.P. ACCOUNTANT GENERAL OFFICERS COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. A-1 BEMLOE SHIMLA - 3	
43	THE H.P. SECTT.HOUSEBUILDING COOP. SOCS.LTD.MAHLI DISTT. SHIMLA H.P.	Under Liquidation

सांगटी उपचुनाव–वीरभद्र के शिमला में जयराम की पहली जीत

क्या शिमला लोस चुनाव में भी यह जारी रह पायेगी?

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड से भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है। इससे पहले यहां पर माकपा और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। यह दूसरी बात है कि इस जीत की पटकथा लिखने के लिये भाजपा को उसी चेहरे पर दाव खेलना पड़ा जिसे वह कांग्रेस में सेंध लगाकर भाजपा में लायी थी। भाजपा की जीत का चेहरा बनी मीरा शर्मा ने इस वार्ड से तीसरी बार तीसरे दल में आकर भी अपनी जीत बरकरार रखी है। इस तरह भाजपा की यह उसकी विचारधारा की नही बल्कि उसकी जोड़तोड़ की जीत ज्यादा मानी जा रही है। क्योंकि यही मीरा शर्मा सबसे पहले यहां से माकपा और फिर कांग्रेस से जीत चुकी है। हालांकि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यह केवल 44 मतों से ही जीत पायी है जबकि कांग्रेस में वह 271 मतों से जीती थी। लेकिन जीत का अपना ही एक अलग अर्थ होता है और नगर निगम शिमला का प्रदेश की राजनीति में एक केन्द्रिय स्थान है। चुनाव की दृष्टि से शिमला को मिनी हिमाचल माना जाता है इस नाते इस जीत के राजनीतिक मायने अलग हो जाते हैं। भाजपा में इस जोड़-तोड़ का पूरा श्रेय शिमला के विधायक शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज और चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के प्रबन्धन को जाता है जिन्होंने मीरा को ओकओवर में बिल्कुल गुपचुप तरीके से भाजपा में शामिल करवाया तथा इससे पहले किसी को भी इसकी भनक तक नही लगने दी।

शिमला पूरा जिला कांग्रेस गढ़ माना जाता रहा है क्योंकि इसी शिमला के वीरभद्र प्रदेश के छः बार मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। फिर जब नगर निगम शिमला के चुनाव हुए थे तब वीरभद्र स्वयं चुनाव प्रचार में उत्तरे थे। माना जाता है कि जिला शिमला की राजनीति में उनके परोक्ष/ अपरोक्ष दखल के बिना कुछ भी नहीं घटता है। फिर इस उपचुनाव से पहले ही प्रदेश कांग्रेस को इसी जिले के कुमारसेन से कुलदीप राठौर के रूप में नया अध्यक्ष भी मिल गया था। इस परिप्रेक्ष में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाजपा न केवल कांग्रेस का प्रत्याशी ही सेंध लगाकर छीनने में कामयाब हुई बल्कि वीरभद्र के शिमला में यह जीत दर्ज करने में भी सफल हो गयी।

अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने है और यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनो के लिये महत्वपूर्ण होंगे। इन चुनावों में साम, दाम, दण्ड और भेद सबका बराबर इस्तेमाल किया जायेगा। अभी भाजपा के शिमला से वर्तमान सांसद वीरेन्द्र कश्यप के खिलाफ "कैश ऑन कैमरा" मामले में अदालत में आरोप तय हो गये हैं। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल का मामला भी अदालत में गंभीर मोड़ पर है। सरकार इसे वापिस लेने के लिये अदालत में आग्रह दायर कर चुकी है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में दिये गये फैसलों के परिप्रेक्ष में इसे वापिस का पाना अदालत के लिये भी बहुत आसान नही रह गया है क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सारी गवाहीयां हो चुकी है। अब केवल डिफैन्स की ओर से ही गवाहीयां आनी है। ऐसे में इस स्टैज पर इस मामले के वापिस होने पर कई सवाल उठेंगे और यह भी संभव है कि कोई भी इसे उच्च न्यायालय के संज्ञान में ले आये तथा यह सरकार के लिये परेशानी का कारण बन जाये।

इस परिदृश्य में सरकार और भाजपा के लिये सांगटी में मिली जीत को लोकसभा में दोहराने के लिये काफी संभलकर चलना होगा। क्योंकि यह स्वभाविक होगा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष इस हार के कारणों पर रिपोर्ट लेगा ही। ऐसे में जिस तरह की ब्यानबाजी इस चुनाव तक बड़े नेताओ की आती रही है उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इस तरह के आचरण पर कड़ाई से रोक लगायी जाये। अबतक भाजपा को कांग्रेस के अन्दर बनती इस तरह की स्थितियों का लाभ मिलता रहा है जो आगे शायद ज्यादा संभव नही हो पायेगा।